

परीक्षा निर्देश

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु
भर्ती परीक्षा -2018 के ऑनलाइन आवेदन के सम्बंध में**

- नोट: -1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से रखें।
2. दस्तावेजों के परीक्षण के समय उस आवेदन का प्रिंट आउट लेकर पहुँचना अनिवार्य है।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है -

(I)	परीक्षा तिथि	-	23 दिसंबर 2018 (रविवार)
1.	डॉटा एंट्री ऑपरेटर	-	पूर्वाह्न 9:00 से 12:15 बजे तक
2.	सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं सहायक प्रोग्रामर (एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी)	-	अपरान्ह 2:00 बजे से 5:15 बजे तक

(II)	परीक्षा तिथि	-	06 जनवरी 2019 (रविवार)
3.	सहायक रजिस्ट्रार (I.T.) एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर (एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी)	-	पूर्वाह्न 9:00 से 12:15 बजे तक
4.	हार्डवेयर इंजीनियर	-	अपरान्ह 2:00 बजे से 5:15 बजे तक

(III)	परीक्षा तिथि	-	13 जनवरी 2019 (रविवार)
5.	सहायक लायब्रेरियन एवं लायब्रेरी सहायक (एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी)	-	पूर्वाह्न 9:00 से 12:15 बजे तक
6.	ट्रॉन्सलेटर	-	अपरान्ह 2:00 बजे से 5:15 बजे तक

(IV)	परीक्षा तिथि	-	27 जनवरी 2019 (रविवार)
7.	सहायक ग्रेड-3, एवं सहायक ग्रेड-3 (कम्प्यूटर) (एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी)	-	पूर्वाह्न 10:00 से 1:15 बजे तक

उपरोक्त सभी परीक्षाओं हेतु व्यापम की वेबसाइट पर -

(V)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	-	13.11.2018 (मंगलवार)
(VI)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	-	02.12.2018 (रविवार), रात्रि 11:59 बजे तक

परीक्षा शहर एवं कोड नंबर

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	—	कोड नंबर
1.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	—	11
2.	बिलासपुर	—	13
3.	दुर्ग	—	16
4.	जगदलपुर	—	17
5.	रायपुर	—	25

परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2.	बिलासपुर	शासकीय ई.राघवेन्द्र राव,स्नात. विज्ञान महा.बिलासपुर	07752-246430
3.	दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.दुर्ग	0788-2211688
4.	जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
5.	रायपुर	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131

टीप - त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

परीक्षा के दिन उत्तरशीट (Answer Sheet) में श्रेणी (Category), वर्ग (Class), जन्म तिथि (Date Of Birth), लिंग (Gender) आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।

ध्यान रहे -

- 3.5 से.मी. चौड़ाई x 4.5 से.मी. लंबाई का फोटो, जिसका अधिकतम साइज 50 kb का एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, फोटो, हस्ताक्षर, नाम तथा अंगूठा निशान इन चारों को एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर (मिले हुए फार्मेट में) रखकर स्कैन (SCAN) कराकर JPEG फाईल के रूप में सेव (Save) करके रखें।
- शुल्क अदायगी के लिए बैंक का डेबिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड)/क्रेडिट कार्ड /इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होना आवश्यक होगा, अतः सम्बंधित पासवर्ड एवं अन्य जानकारी तैयार रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

- पात्रता :-** आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में मान. न्यायालय का विस्तृत विज्ञापन देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विज्ञापन में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM” लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने आवेदन के Status को जाँच लें । अगर Status ”Failed” है तो अभ्यर्थी पुनः आवेदन करें ।

3. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं । परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वानिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा । एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा ।

4. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर केवल 13.11.2018 से 02.12.2018 तक संपर्क कर सकते हैं । साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 7470470609 पर संपर्क कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये ।

6. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन ।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । **मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।**

नोट— अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे पर्स, पाउच, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा ।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

7. परीक्षा पद्धति :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा उक्त पदों के लिए ओ.एम.आर. आधारित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 150 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की समयावधि **3.00 घंटे** की होगी।

प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तरशीट में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा।

व्यापम द्वारा केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा लिया जायेगा, जिसकी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध है।

8. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (**zero**) अंक प्रदान किये जायेंगे।

9. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल आई.डी. **cgvyapam.dawaapatti2018@gmail.com** से सम्बंधित परीक्षा कोड लिखते हुए भेजा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा। बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

10. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं—

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 150 है, में से 06 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 144 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित किया है, 22 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित किया है तथा निगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं किया है तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार होगी—

$$\begin{array}{rcl} \text{सही उत्तरों की संख्या} - & \text{गलत उत्तरों की संख्या का } 1/4 & = \text{प्राप्तांक} \\ (104 & - & 22/4 \\ & & = 98.5) \end{array}$$

$$\frac{\text{प्राप्तांक} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{98.5 \times 150}{150 - 6} = 102.604 \text{ कुल प्राप्तांक}$$

तदनुसार कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी।

11. परीक्षा परिणाम :-

विज्ञापन के आधार पर व्यापम द्वारा अंतिम मेरिट सूची घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर रोल नंबर एंटर कर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

12. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

13. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

प्रतियोगी परीक्षा तीन स्तर – ओ.एम.आर. आधारित, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार (जिन पदों हेतु) पर आयोजित की जायेगी। व्यापम का दायित्व मात्र ओ.एम.आर. आधारित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना है। कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा ओ.एम.आर. आधारित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यापम द्वारा जारी की जावेगी, जिसके आधार पर दस्तावेज परीक्षण तथा चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

.....